न्यायालय – बालक न्यायालय(सेशन न्यायाधीश), सीकर(राज.)
राज. राज्य बनाम मनीष उर्फ बच्चिया वगैरह
सेशन प्रकरण संख्या 117/2023

06.02.2026

1. श्री राजेन्द्र कुमार हुड्डा, विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्ता सुधा कंवर मफरूर है। अभियुक्तगण 1. मनीष उर्फ बच्चिया, 2. विक्रम, 3. जतिन उर्फ जॉनी पहलवान, 4. राकेश, 5. गणेश, 6. मुकेश उर्फ बुल्लू, 7. सरजीत सिंह, 8. गुलझारी, 9. उमेश, 10. नेमीचन्द, 11. कुलदीप, व 12. सरजीत जे.सी. से उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर से जरिये वी.सी. उपस्थित।

2. अभियुक्तगण सतीश कुमार उर्फ पहलवान तथा सचिन उर्फ सचिन भिवानी जे.सी. से जिला कारागृह भिवानी से जरिये वी.सी. उपस्थित। अभियुक्त दिनेश कुमार उर्फ दिनेश बारी व अजीत उर्फ जीतू बलोद वरजमानत प्रोडक्शन वारण्ट से जरिये वी.सी. उपस्थित।

3. अभियुक्तगण शकील खान, वीरेन्द्र सिंह, योगेश वर्मा, धनराज, शक्तिसिंह, राकेश, विजयपाल, अशोक, श्रवण व कमल डेलू अनुपस्थित की दरख्वास्त हाजरी माफी अधिवक्तागण श्री राहुल मिठारवाल, श्री भगवत सिंह चारण, श्री अशोक कुमार पंवार, व श्री अंगद कुमार तिवाड़ी ने प्रस्तुत किए, जो आज के लिए स्वीकार किए जाते है।

4. साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 27 व 28 के जमानती वारण्ट बाद या अदम तामील प्राप्त नही हुए है। गवाह किशन उपस्थित है। वी.सी. के दौरान भिवानी जेल से सम्पर्क टूट जाने से जरिये दुरभाष सम्पर्क किया गया तो उन्होने जाहिर किया कि लाईट कट हो जाने तथा जनरेटर खराब होने के कारण वी.सी. दोबारा कनेक्ट कराने में असमर्थ है। गवाह को आगामी पेशी बाबत् सूचित किया गया।

5. गवाहान को निम्नानुसार तलब किया जावेः–

   1. दिनांक 24.02.2026 हेतु गवाह संख्या 4 श्रीनिवास व गवाह संख्या 30 तेजाराम को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रूपये से,
   2. दिनांक 25.02.2026 हेतु गवाह संख्या 13 दुर्गाराम व गवाह संख्या 14 दलीप को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रूपये से तथा,
   3. दिनांक 04.03.2026 हेतु गवाह संख्या 27 दिलावर व गवाह संख्या 28 मुकेश को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रूपये से तलब किया जावे।

राजेन्द्र कुमार, आर.जे.एस.
(RJ No. [illegible])
न्यायाधीश
बालक न्यायालय
(जिला एवं सेशन न्यायालय)
सीकर(राजस्थान)

6. अभियुक्त राकेश की ओर से उसके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस हेतु दस दिवस का समय चाहा है। न्यायहित में

[illegible]

[illegible]

अवसर दिया जाता है।

5. पत्रावली बहरा नोटिस दिनांकित 13.11.2025 तथा उपस्थिति अभियुक्तगण हेतु सर्वप्रथम दिनांक 17.02.2026 को पेश हो। तब तक जे.सी. में निरुद्ध अभियुक्तगण की जे.सी. अवधि बढ़ाई जाती है।

6.2.26

[illegible]

(UID No. [illegible])

[illegible]

(बालक न्यायालय [illegible])

[illegible] (राजस्थान)